मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
<u>वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल</u>

क्रमांकः एफः 1-2/2013/नियम/चार भोपाल, दिनांक 22अक्टूबर, 2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय - शासकीय देयको का **ई-भुगतान** करने के संबंध में ।

संदर्भ - वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 1-11/2010/नियम/चार, दिनांक 16 सितम्बर, 2010.

--•••--

विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञाप के द्वारा समस्त विभागों के आहरण संवितरण अधिकारियों हेतु निर्देश जारी किये गये थे कि कोषालयों से प्राप्त किये जाने वाले भुगतान ई-भुगतान के माध्यम से सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में जमा किये जाये।

2/ शासन के ध्यान में यह तथ्य आया है कि कतिपय आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा ई-भुगतान के माध्यम से राशि प्राप्त कर विभागीय बैंक खातों में जमा की जा रही है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि विभागीय बैंक खाते किसी विशिष्ट योजना के संचालन हेतु खोले गये हैं, उनमें ई-भुगतान के माध्यम से राशि प्राप्त कर जमा की जाना नियम संगत नहीं है।

3/ राज्य की समेकित निधि से राशि का आहरण उस समय ही किया जाना चाहिये जब उसके भुगतान की तत्काल आवश्यकता है। मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग-एक के सहायक नियम 284 का उद्धरण निम्नानुसार है :-

"जब तक भुगतान तुरंत किया जाना अपेक्षित न हो, कोषालय से आहरण नहीं किया जाये। मांग की प्रत्याशा में या बजट अनुदानों के व्ययपगत होने से बचाने हेतु कोषालय से

पेशगी निकालना एक गंभीर अनियमितता है, तथा ऐसे आहरण के लिये दोषी व्यक्ति स्वयं अनुशासनिक कार्यवाही का भागी होगा।''

4/ शासन द्वारा संचालित कतिपय योजनाएं ऐसी हैं, जिनमें खोले गये बैंक खातों में भारत सरकार अथवा किसी बाहय एजेंसी से सीधे राशि चैक अथवा ड्राफ्ट के रुप में प्राप्त होती है। ऐसी योजनाओं के बैंक खातों में राज्यांश उसी स्थिति में बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाना चाहिये, जब भुगतान तत्काल ही हितग्राहियों को किया जाना हो।

5/ अतः कृपया अपने अधीनस्थ आहरण संवितरण अधिकारियों को निर्देशित करें कि ई-भुगतान से राशि सीधे हितग्राहियों/सेवा प्रदायकर्ताओं/संस्थाओं/एजेंसी के बैंक खातों में जमा की जाये। ई-भुगतान से राशि, पूर्व से खोले गये बैंक खातों में जमा की जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(मनीष रस्तोगी)
सचिव,
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 1-2/2013/नियम/चार भोपाल, दिनांक 22अक्टूबर, 2013

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

Sunita
http://www. Finance.mp.gov.in